

दीपकशाही बनाम किशनपल

हुकम

दावा मु. नं. 712/17
हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अटकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

07-10-20

को महामारी Covid-19 से होने वाले संक्रमण को
रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की
पालना के लिए पत्रावलियों में इफजाही तारीख पेशीयाँ देने
पर पत्रावली उतल पेश हुई। वकुलाय फरीफोन उपस्थित
पीठारसी अधिकारी दौर/मीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20.10.20 को पेश हो।

20.10.20

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष
उपस्थित। वादी की ओर से वकील वादी ने
प्रार्थना पत्र बावत विडो किये जाने दावा पेश
किया कि प्रकरण दावा में वादी एवं प्रतिवादी
गज के मध्य राजीनामा हो गया है तथा प्रकरण
में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः
प्रकरण जरिमे विडो रवारिज किया जाके।
प्रार्थना पत्र विडो पर उभय पक्ष को सुना
गया। वकील प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र
विडो स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति
नहीं होने का कथन किया। अतः न्याय हित
में प्रार्थना पत्र वादी बावत विडो किये जाने
स्वीकार किया जाके वाद पत्र वादी रवारिज कर
निर्णय किया जाता है। पत्रावली बाद फेमल
शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दारवेल
हो।

निर्णय से इजलास कुनाया गया।

(2)

सहायक जज (सुमार ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक जज
श्रीमाधोपुर

मेहनत
वाद पत्रावली
विडो रवारिज
केवल
20/10/2020